

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Greenfield Infraprojects Pvt. Ltd.,
311, T/F Plot No. 192, Mamram East Plaza,
Mayur Vihar, PH-3, Delhi.

क्रमांक

56

/एम0बी0

दिनांक

31/5/24

विषय:-

NOC for Aravali clearance for affordable residential plotted colony under Deen Dyal Awaas Yojna over a land admeasuring 7.875 acres situated at Sector 6, Tehsil Sohna, District Gurugram, Haryana (LC-5074) Greenfields Infraprojects Pvt. Ltd. In collaboration with others.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सोहना व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, सोहना ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 659/रीडर दिनांक 18.03.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार वाका मौजा सोहना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त मांगी सूचना बिन्दूवार हस्ब जैल है:-

1. विषयोक्त मामले में आपके द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा सोहना तहसील सोहना जिला गुरुग्राम अराजी मु0न0 144 कीला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22, 23/1 मु0न0 145 कीला नं0 16, 17, 25, 26 मु0न0 175 कीला नं0 2, 3/1 मु0न0 145 कीला नं0 23/2/1, 24/1 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की खाना कैफियत में दिनांक 07.05.1992 अरावली नोटिफिकेशन में कोई इन्द्राज नहीं है।
2. उपरोक्त अराजी अरावली नोटिफिकेशन से पहले या बाद में गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन रोड़, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रुद्र का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कोई इन्द्राज नहीं है।
3. उपरोक्त अराजी चकबन्दी ताहाल राजस्व रिकार्ड में चाही इन्द्राज चला आ रहा है।
4. उपरोक्त अराजी चकबन्दी ताहाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका देह/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की खाना कैफियत में किसी इन्तकाल की मुतनाजा रिपोर्ट नहीं है।
6. उपरोक्त अराजी NCZ-SEZ का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है।
7. उपरोक्त अराजी मु0 144 कीला नं0 11/1, 19, 20, 21, 22, 23/1 मु0नं0 145 कीला नं0 16, 17, 25, 26 मु0न0 175 कीला नं0 2, 3/1 मु0न0 145 कीला नं0 24/1 रकबा पाक साफ है व मु0न0 145 कीला नं0 23/2/1 में 0-1 का अवार्ड हो चुका है।
8. उपरोक्त अराजी मु0न0 144 कीला नम्बर 11/1(2-0), 19(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 22(8-0), 23/1(2-0) व मु0न0 145, 16(6-5), 17(8-0), 25(7-11), 26(2-11), मु0न0 175 कीला नं0 2(8-0), 3/1(2-0) कीता 12 रकबा 70 कनाल 07 मरला वाका मौजा सोहना, इन्तकाल नं0 20024 - 27719 विरासत की रूह से श्रीमती शशी गौड - अनीता भारद्वाज - सुनीता भारद्वाज पुत्रीयान रघुनन्दन सिंह हर तीन समभाग 3/8 भाग व राकेश भारद्वाज पुत्र रघुनन्दन सिंह 5/8 भाग मालकान है व मु0न0 145 कीला नं0 23/2/1(0-10), 24/1(3-17) कीता 2 रकबा तादादी 4-7 वाका मौजा सोहना राकेश भारद्वाज पुत्र रघुनन्दन सिंह मालिक है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 75-G दिनांक 08.04.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 05.10.2023


(M/s Greenfield Infraprojects Pvt. Ltd.) को गांव सोहना, जिला गुरुग्राम के 7.875 एकड़ क्षेत्र की फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Mr. Mayank Pathak, M/s Greenfield Infraprojects Pvt. Ltd., having Rectange No./Murba No./Killa No. 144//11/1(2-0), 19(5-3), 20(8-0), 21(8-0), 22(6-15), 23/1(2-0), 145//16(6-5), 17(5-1), 25(7-11), 26(2-11), 175//2(5-3), 3/1(2-0), 145//23/2/1(0-5), 24/1(2-6) Land Measurements 7.875 (Acre) Land Location Village Sohna, District Gurugram made a proposal to use this land for Setting up of Township. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Greenfield Infraprojects Pvt. Ltd.**, whose land is located at **Village/City Sohna, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions

अतः तहसीलदार, सोहना व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Sohna, Sector 6, Tehsil Sohna, District Gurugram के मु0न0 145 कीला नं0 23/2/1 में 0-1 का अवार्ड हो चुका है, को छोड़कर बाकि उक्त भूमि (रिपोर्ट में वर्णित खसरा/कीला नम्बरान) की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।


कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।